<u>जन्म प्रमाण पत्र का प्रमाण</u>:– जन्म, मृत्यु एवं विवाह प्रमाण–पत्र अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकार के द्वारा विधिवत निर्गत जन्म प्रमाण–पत्र ही मान्य एवं अनिवार्य होगा।

<u>Proof of Birth Certificate</u>:- The birth certificate duly issued by the competent authority under the Birth, Death and Marriage Certificate Act, 1966 only will be valid and mandatory.

<u>आवास प्रमाण–पत्र का प्रमाण</u>:– बच्चे का नाम वाले पिता/माता के नाम पर संबंधित अंचलाधिकारी के द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण–पत्र के साथ सक्षम प्राधिकार के द्वारा जारी राशन कार्ड अथवा बच्चे का या उसके माता–पिता के निवास का प्रमाण–पत्र अथवा माता–पिता में से किसी एक का मतदान पहचान पत्र अथवा बिजली बिल/ टेलीफोन बिल/ आधार कार्ड/ जॉब कार्ड संलग्न किया जाना है।

बच्चे के नाम पर आवासीय प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में पिता के नाम पर संबंधित अचंलाधिकारी के द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण–पत्र मान्य होगी, बशर्ते कि आवेदक बच्चे के जन्म प्रमाण–पत्र तथा आधार कार्ड में उनके पिता का वही नाम अंकित हो जो उनके आवासीय प्रमाण–पत्र पर अंकित है।

<u>Proof of Residence Certificate</u>:- Residential certificate issued by the concerned Circle Officer in the name of the father/mother of the child or in the name of the child, along with ration card issued by the competent authority along with Voter ID card or electricity bill/telephone bill/Aadhar card/job card of one of the parents is to be attached.

In case the residential certificate is not available in the name of the child, the residential certificate issued by the concerned Circle Officer in the name of the father shall be valid, provided that the name of the father of the applicant child in his birth certificate and Aadhar card is the same as mentioned in his residential certificate.

<u>आय प्रमाण–पत्र का प्रमाण</u>:– अंचलाधिकारी द्वारा जारी अद्यतन आय प्रमाण–पत्र जिसमें बच्चे के परिवार के सभी श्रोतों से वार्षिक आय 72000/– या उससे कम अंकित हो को, अनिवार्य रूप से संलग्न करते हुए बी.पी.एल. कार्ड, राशन कार्ड (अगर उपलब्ध हो तो) उसे भी संलग्न किया जाना है।

Proof of Income Certificate:- Updated Income Certificate issued by the Circle Officer in which the annual income of the child's family from all sources is Rs 72000/- or less, must be attached along with B.P.L. Card, Ration Card (if available) is also to be attached.

अभिवंचित वर्ग का प्रमाण (जाति प्रमाण पत्र) उपायुक्त/अनुमण्डलाधिकारी/अंचलाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य एवं अनिवार्य होगा। बच्चे के नाम पर जाति प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में पिता के नाम पर संबंधित अचंलाधिकारी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र मान्य होगी, बशर्ते कि आवेदक बच्चे के जन्म प्रमाण–पत्र तथा आधार कार्ड में उनके पिता का वही नाम अंकित हो जो उनके जाति प्रमाण–पत्र पर अंकित है।

Proof of deprived class (Caste Certificate): Caste Certificate issued by the office of Deputy Commissioner/Sub-Divisional Officer/Circle Officer only will be valid and mandatory. In case the Caste certificate is not available in the name of the child, the Caste certificate issued by the concerned Circle Officer in the name of the father shall be valid, provided that the name of the father of the applicant child in his birth certificate and Aadhar card is the same as mentioned in his Caste certificate.

निःशक्ता प्रमाण पत्रः– यदि बच्चा निःशक्त हो तो सरकारी अस्पताल से सक्षम प्राधिकार द्वारा सरकारी विहित प्रपत्र में निर्गत चिकित्सा प्रमाण–पत्र ही मान्य एवं अनिवार्य होगा।

Disability Certificate:- If the child is disabled, then only the medical certificate issued by the competent authority from the government hospital in the government prescribed form will be valid and mandatory.

अनाथ बच्चे का प्रमाण पत्रः– अनाथ बच्चे की स्थिति में अंचलाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र ही मान्य एवं अनिवार्य होगा।

Certificate of Orphan Child:- In case of orphan child, only the certificate issued by the Circle Officer will be valid and mandatory.